पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/874/2012-__________/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : श्री विपिन बिहारी मिश्र
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- /2015.

विषय : निविदा निस्तार प्रक्रिया हेतु दिशा-निदेश से संबंधित पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0 प्र0-7/नियम-01/2015-1305(S), पटना, दिनांक 12.02.2015 संसूचित करने के संबंध में ।

प्रसंग : पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक- प्र0-7/नियम-01/2015-1305(S), पटना, दिनांक 12.02.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग, बिहार के द्वारा राज्य में क्रियांवित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मति संबंधित वैसे कार्यो, जिसकी प्राक्कलित राशि, बिहार ठिकेदारी नियमावली-2007 की श्रेणी 3 तथा 4 में निबंधित संवेदकों हेतु निर्धारित राशि की सक्षमता के अनुरूप है, के निविदाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के संवेदकों द्वारा निविदित दर तथा अन्य संवेदकों द्वारा निविदित दर समान (Equal) रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को कार्य आवंटित करने के संबंध में दिशा-निदेश निर्धारित किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त संदर्भ में निविदा निस्तार से संबंधित दिशा-निदेश का अनुपालन पत्र निर्गत की तिथि से सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0- यथोक्त ।

ह0/-

(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-   /पटना, दिनांक-   /2015.

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख(उत्तर)/(मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/ सभी संयुक्त सचिव/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 240   /पटना, दिनांक-   24/02/2015.

प्रतिलिपि प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संकल्प

विषय :–राज्य के सभी विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मति संबंधित वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि, बिहार ठिकेदारी नियमावली, 2007 की श्रेणी 3 तथा 4 में निबंधित संवेदकों हेतु निर्धारित राशि की सक्षमता के अनुरूप है, के निविदाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदकों द्वारा निविदित दर तथा अन्य संवेदकों द्वारा निविदित दर समान (Equal) रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को कार्य आवंटित करने के संबंध में।

1. प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति एवं प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर विभिन्न लोक कार्यों में प्रचलित कार्य आवंटन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उचित भागीदारी नहीं हो पा रही है जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में इन वर्गों की उपस्थिति नगण्य है।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त आर्थिक प्रगति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यापक भागीदारी तथा आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान करने हेतु निम्न उपबंध किए जाते है :–

2.1 राज्य के सभी विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मति से संबंधित कार्यों के आवंटन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को निम्नवत प्राथमिकता दिया जाएगा:–

2.1.1 राज्य के सभी विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मति से संबंधित कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि, बिहार ठिकेदारी नियमावली, 2007 की श्रेणी 3 तथा 4 में निबंधित संवेदकों हेतु निर्धारित राशि की सक्षमता के अनुरूप है, हेतु प्राप्त निविदाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदक द्वारा उद्धृत दर तथा अन्य संवेदक के उद्धृत दर के समान (Equal) होने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदक को प्राथमिकता देते हुए कार्य आवंटित किया जाएगा तथा इस मामले में बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 163 को शिथिल माना जाएगा यानि draw of lots की आवश्यकता नहीं होगी।

2.1.2 किसी कार्य विशेष के लिए उक्त कंडिका 2.1.1 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दो अथवा अधिक संवेदक द्वारा उद्धृत दर समान होने की स्थिति में बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 163 यानि draw of lots के आधार पर नियमानुसार कार्य आवंटित किया जाएगा।

सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै०स०प्र०सं०......1264......
दिनांक......18/2/15......

गैर सरकारी प्र०सं०......421......
दिनांक......20-02-15......
मु० अभि० यो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

157

2.1.3 Single entity के अलावे सिर्फ वैसे ही पार्टनरशीप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा Join venture मान्य होगें, जिसके सभी पार्टनर/निदेशक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हों।

2.1.4 निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी अथवा उपर के श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा।

2.1.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक संवेदक/पार्टनरशीप फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/ज्वायंटभेन्चर विशेष को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्यों की अधिकतम सीमा रू० रू0 100.00 लाख (एक करोड़) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अबतक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की सूचना देना अनिवार्य होगा।।

2.1.6 निविदा निष्पादन के लागू प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी की आवश्यकता निर्धारित है, तो इस मामले में भी लागू होगा।

2.1.7 सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

2.1.8 निविदा की अन्य शर्तें यथा प्रावधानित लागू मानी जाएगी।

2.2 उक्त कंडिका 2 एवं संबंधित अन्य उपकंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि का परिमार्जन करने तथा स्पष्ट मार्गनिर्देशन निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः–प्र०–7/नियम–01/2015 - 1305 (S) पटना, दिनांक - 12.2.15

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।

156

ज्ञापांकः–प्र०–7/नियम–01/2015 - 1305(3) पटना, दिनांक – 12.2.15

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। बिहार के राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः–प्र०–7/नियम–01/2015 1305(5) पटना, दिनांक – 12.2.15

प्रतिलिपि– सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः–प्र०–7/नियम–01/2015 1305(5) पटना, दिनांक – 12.2.15

प्रतिलिपि– मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः–प्र०–7/नियम–01/2015 1305(5) पटना, दिनांक – 12.2.15

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस संकल्प का soft copy (CD) के साथ सूचनार्थ ~~।~~ एवं इसे विभागीय वेबसाइट पर host करने तथा सभी संबंधित को email से भेजने हेतु प्रेषित।

12/2/15
सरकार के सचिव
पथ निर्माण विभाग।